न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत,
पीठासीन अधिकारी गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध 113/ 2021

प्रार्थी :–

1 महेन्द्र कुमार पुत्र जसाराम जाति प्रजापत निवासी मुरलीधर जी का चौक चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला–पाली राज.।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1/ जसाराम पुत्र घीसाराम जाति कुम्हार निवासी मुरलीधर जी का चौक चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली राज0।
2. पारसमल पुत्र शिवलाल
3. माणकलाल पुत्र शिवलाल
4. रतनलाल पुत्र शिवलाल
5. सोहनलाल पुत्र शिवलाल जातिगण कुम्हार निवासीगण चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली राज0।
6. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 25.04.2022

प्रार्थी ने एक राजस्व मूल वाद अंतर्गत धारा 88, 92(ए), 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बहुत ही ठोस एवं मजबूत आधारों पर पेश किया है जिसमें प्रार्थी को पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। अधिवक्ता मय प्रार्थी राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा चण्डावल नगर पटवार हल्का चण्डावल भू.अ.नि. चण्डावल तहसील सोजत के ख0नं0 718/1 रकबा 0.5510 हैक्टर, ख0नं0 719/1 रकबा 0.5100 हैक्टर, ख0नं0 765/1 रकबा 0.4100 हैक्टर, ख0नं0 766/1 रकबा 1.4100 हैक्टर, ख0नं0 768/4 रकबा 0.0640 हैक्टर किस्म चा.सो.जा.सो.बजड़ की कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि के रिवाईज्ड सेटलमेंट के पुराने खसरा नम्बर 783, 784/2172, 781 मीन, 784/2171 और 784 से नया खसरा संख्या 718 बने तथा पुराने खसरा संख्या 781 मी. व 782 से नया खसरा संख्या 719 बने तथा पुराना खसरा संख्या 786 से नया खसरा संख्या 765 बने तथा पुराना खसरा संख्या 785 व 776 से नया खसरा संख्या 766 बने व पुराना खसरा संख्या 789 से नया खसरा संख्या 768 बने है और तत्कालीन खातेदारों के मध्य बंटवाड़ा होने के पश्चात् घीसाराम की बंट की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा संख्या 718/1, 719/1, 765/1, 766/1 व 768/4 बने है। जिसे वाद पत्र में आगे वादस्थ कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के पुराने खसरा संख्या 783, 784/2172, 781 मीन, 784/2171, 784, 781 मी., 782, 786, 785, 776, 789 की कृषि भूमि प्रार्थी के दादा घीसाराम पुत्र लच्छाजी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है जो सम्वत् 2010 से 2019 की जमाबंदी में घीसाराम पुत्र लच्छा का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के दादा घीसाराम पुत्र लच्छा के जाईन्दा दो पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली-मारवाड़) राज.

जसाराम व शिवलाल (जो अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता है) वारिस है। प्रार्थी के पिता जसाराम ने अपनी पहली पत्नी भंवरीदेवी से विवाह किया जिनके दाम्पत्य जीवन से प्रार्थी महेन्द्र का जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय पश्चात् प्रार्थी की माता भंवरीदेवी फौत हो गयी। प्रार्थी के दादा घीसाराम की मृत्यु जब प्रार्थी सात आठ वर्ष का था तब हो गयी थी। कानूनन घीसाराम की मृत्यु के पश्चात् उनके हक हिस्से की भूमि में प्रार्थी का भी 1/4 हिस्सा बनता है तथा 1/4 जसाराम का बनता है लेकिन घीसाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाया तब प्रार्थी का नाम 1/4 हिस्से में दर्ज नहीं करवाया और प्रार्थी के हिस्से को जसाराम के हिस्से में सम्मिलित करते हुये मात्र अप्रार्थी संख्या 1 जसाराम के नाम दर्ज करवा दिया जो कि गलत है। प्रार्थी अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है, प्रार्थी उसके दादा घीसाराम की मृत्यु के वक्त जीवित था और उक्त सम्पति पैतृक है जिसमे कानूनन प्रार्थी का हक हिस्सा बनता है जिसे प्रार्थी पाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी घीसाराम पुत्र लच्छा का पौत्र होने व सहदायिकी होने से कानूनन उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी के हक व अधिकार उत्पन्न हो चुका है जिससे प्रार्थी वादस्थ कृषि भूमि पैतृक होने से प्रार्थी अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से में से 1/2 यानि सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/4 वां हक हिस्से कानूनन आता है जिसकी खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी ने यह वाद खातेदारी घोषणा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि में कानूनन प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है लेकिन गलत राजस्व रेकर्ड में नाम के इन्द्राज के आधार अप्रार्थी संख्या 1 जसाराम वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से को बेचान, हस्तान्तरण करने एवं कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन करने की ऐलानिया धमकियां दे रहे है जिनका कि अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि वो वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान, हस्तान्तरण नहीं करे एवं वादग्रस्त कृषि भूमि के स्वरूप में परिवर्तित नहीं करें। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान के न्यायालय में पेश है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमाया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर श्रीमान से निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के 1/4 हक हिस्से की खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न ही अपने नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार इत्यादि से ही करावें न ही अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि को स्वरूप परिवर्तन ही करें। अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो वो प्रदान फरमाई जावें। अप्रार्थीगण को रोका जाकर जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली, राज.

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। बावजूद सूचना / तामिल बारबार आजावे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध दिनांक 21.02.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी पिता पुत्र है। प्रार्थी के जन्म से ही वादस्थ पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 01 के नाम भूमि दर्ज होने से प्रार्थी का उसके हक अधिकारों से विमूख कर रहे है तथा वादस्थ भूमि का बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र फहरिस्म मय दस्तावेज का अवलोकन कर अधिवक्ता प्राथी की बहस पर गौर कर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया वादस्थ भूमि पुश्तैनी प्रतित होती है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अंकित नही होकर प्रार्थी के पिता जसाराम व सह खातेदारों का नाम दर्ज है। यदि वाद निर्णय की विधिक प्रकिया के दौरान यदि वादग्रस्त भूमि का बेचान होता है तो प्रार्थी का अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चण्डावल नगर पटवार हल्का चण्डावल भू.अ.नि. चण्डावल तहसील सोजत के ख0नं0 718/1 रकबा 0.5510 हैक्टर, ख0नं0 719/1 रकबा 0.5100 हैक्टर, ख0नं0 765/1 रकबा 0.4100 हैक्टर, ख0नं0 766/1 रकबा 1.4100 हैक्टर, ख0नं0 768/4 रकबा 0.0640 हैक्टर किस्म चा.सो.जा.सो.बजड़ की कृषि भूमि का बैचान रहन बक्शीन इत्यादि नही करने व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.